IS 15700:2005
सेवोत्तम प्रमाणित

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

निर्माण खण्ड-वाराणसी-03

आजमगढ़, 276001

Email:- cdmau4@gmail.com

भारतीय मानक ब्यूरोIS 15700

पत्र सं0:- 859 / आई0टी0आई0 /मऊ **दिनांक**-24/10/2024

अल्पकालिन ई-निविदा सूचना

. अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिषद की ओर से उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में उपयुक्त श्रेणी (श्रेणी-डी) में पंजीकृत व अनुभवी ठेकेदारों / फर्मों से टू-बिड पद्धति पर "जनपद-मऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घोसी मऊ के आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य" हेतु आन-लाईन ई-निविदायें https://etender.up.nic.in के माध्यम से आमंत्रित निम्न विवरणानुसार की जाती है। प्राप्त निविदाओं की तकनीकी बिड उपस्थित निविदादाताओं / उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-वाराणसी-03, आजमगढ़, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ब्रहमस्थान-आजमगढ़ में दिनांक 08.11.2024 को अपरान्ह 13.00 बजे खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदारों / फर्मों हेतु ई-निविदा डाउनलोड प्रारम्भ होने तथा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	तकनीकी बिड खोलने की तिथि व समय	वित्तीय बिड खोलने की तिथि व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जनपद-मऊ के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, घोसी मऊ के आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य	बी.ओ. क्यू के अनुसार	40.00	0.80	1500 + 18% GST = 1770.00	01 माह	दिनांक 26.10.2024 को 17.00 बजे से दिनांक 08.11.2024 को 11.00 बजे तक।	दिनांक 08.11.2024 को 13.00 बजे।	तकनीकी बिड खोलने के उपरान्त अवगत करायी जायेगी।

नियम व शर्तें:-

1. निविदा की प्रोसेसिंग का मूल्य, धरोहर धनराशि आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से अलग-अलग निम्न विवरण के अनुसार निविदा खुलने की तिथि से एक दिन पूर्व तक खण्ड कार्यालय के खाते में जमा किया जाना होगा। वांछित धनराशि खाते में जमा होने की पुष्टि के उपरान्त ही निविदा पर विचार किया जायेगा। खाते का विवरण निम्नवत् है-

Name of A/c Holder	: **Executive Engineer, UP Avas Evam Vikash Parishad, Nirman Khand Varanasi 03 Azamgarh.**
A/C No.	: **465902010996582**
IFSC Code	: **UBIN0546593**
Name of Bank	: **Union Bank of India, Heerapatti, Azamgarh.**

2. निविदा प्रपत्र / धरोहर धनराशि के मूल्य, से सम्बन्धित आर0टी0जी0एस0 का यूटीआर के नम्बर की छायाप्रति स्कैन कर निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड किया जाना होगा।
3. निविदा वेबसाइट https://etender.up.nic.in पर निर्धारित समयावधि में उपलब्ध रहेगी। इच्छुक ठेकेदार नियमित रुप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाइट पर उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक ठेकेदार / फर्मों द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।
4. निर्माण कार्य में प्रयुक्त किए जाने वाले खनिजों की रायल्टी के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

5. उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनिमय 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा का एकल पंजीकरण करना अनिवार्य है। अत: निविदा स्वीकृति एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
6. निविदाओं की बी0ओ0क्यू0 में अंकित कार्यों की मात्रा मैं परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व ठेकेदारों / फर्मो से अपेक्षा की जाती है कि वे स्थल निरीक्षण कर कार्य की अवशेष मात्रा का अवलोकन कर लें। निविदा स्वीकृति उपरान्त कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
7. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध हेतु शासन द्वारा निर्धारित मानक व निविदा की लागत के अनुसार आवश्यक धनराशि के स्टैम्प अनुबन्ध हेतु प्रस्तुत करने होंगे एवं उक्त हेतु अनुबन्ध गठन के समय रु0 10/- के नान ज्यूडिशियल शपथ स्टाम्प पेपर पर देना होगा।
8. निविदादाताओं / फर्म को निविदा स्वीकृति की दशा में कार्य की कुल लागत 10 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 के रुप में जो अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-वाराणसी-03, आजमगढ़ के पक्ष में बंधक हो, जमा करनी होगी।
9. अनुबन्ध गठन की प्रक्रिया या उसके उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार / फर्म सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित अपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो उसके साथ किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जाएगा एवं दण्ड के रुप में उसकी धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
10. निविदादाता / फर्म द्वारा दिये गये दस्तावेजों / प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं उसकी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी / गलत दस्तावेज की जानकारी अनुबन्ध गठन के बाद होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रुप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए उसका नाम काली सूची में डाला जाएगा।
11. निविदादाता फर्म का वाणिज्यकर विभाग में जी0एस0टी0 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा उनके सभी देयकों से सभी प्रकार के टैक्सों जैंसे- जी0एस0टी0, आयकर, लेबरसेस, आदि जो उ0प्र0 सरकार द्वारा लागू किया जाता है, से सम्बन्धित नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
12. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथि को अवकाश हो जाता है तो निविदाये अगले कार्य दिवसों को खोली जायेगी।
13. शासनादेश के अनुसार डिफेक्ट लायबिलिटी अवधि तीन वर्ष होगी एवं कराये गये कार्यो में यदि गुणवत्ता खराब, अधोमानक होने तथा ठेकेदार की लापरवाही एवं तकनीकी त्रुटि के कारण टूटफूट होती है तो निर्माण कार्यो की पूर्णता की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर उसका रख-रखाव सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।
14. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग / परिषद की नवीनतम विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगें।
15. जी0पी0डब्लू0 फार्म-9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
16. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिए एवं बार चार्ट संलग्न किया जाना होगा। प्रगति आक्कलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जाएगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिए ठेकेदार / फर्म का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
17. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर निविदा की दर कम (Below) दर के लिए मान्य होगी एवं शासनादेश सं0-522/23-12-2012-2 आडिट / 08 टी0सी0-2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below दर देने पर ठेकेदार द्वारा (Performance Security Deposit) अतिरिक्त जमानत धनराशि निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।

    (अ) 10% Below दर तक 0.50% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।

    (आ) 10% से अधिक Below दर पर 1.00% प्रति 1.00% कम (Below) दर के लिए।
18. सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, जिसके सम्बन्ध मे कोई भी क्लेम मान्य नहीं होगा।
19. निविदा के साथ रु0 100.00/- के स्टैम्प पेपर पर रु0 1.00/- का रसीदी टिकट लगा कर दरों की वैधता 90 दिन तक वैध है, हेतु निविदा के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

20. ऐसी फर्मे जो परिषद में रजिस्टर्ड है, निविदा में प्रतिभाग करने पर उनको जर्नल सिक्योरिटी के सम्बन्ध में नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी।
21. निविदादाता द्वारा दी गयी दर 1% लेबर सेस सहित मानी जायेगी।
22. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र मऊ होगा।

(सुमित कुमार)
अधिशासी अभियंता

पृ0सं0- 859 / अ0नि0ख0 आ0 /मऊ दिनांक 24/10/2024

प्रतिलिपि:-

1- जिलाधिकारी (म0), जनपद-मऊ।
2- निदेशक (म0), ग्लोबल कन्स्ट्रक्शन एण्ड कन्स्ल्टेंसी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
3- अधीक्षण अभियंता (म0), वाराणसी वृत, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, ऑफिस काम्प्लेक्स, भेलूपुर, वाराणसी।
4- अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड-वाराणसी-01, 02, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वाराणसी।
5- इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को निविदा सूचना को आवास एव विकास परिषद की वेब-साइट पर अपलोड करने के आशय से।
6- सहायक अभियंता प्रथम, निर्माण खण्ड-वाराणसी-03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आजमगढ़ को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
7- नोटिस बोर्ड।

अधिशासी अभियंता